रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33002/99

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

REGISTERED No. D.L.-33002/99

# दिल्ली राजपत्र

# Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 68] दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 12, 2016/चैत्र 23, 1938 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 12]

No. 68] DELHI, TUESDAY, APRIL 12, 2016/CHAITRA 23, 1938 [N.C.T.D. No. 12]

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

## अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

### अधिसूचना

दिल्ली, 12 अप्रैल, 2016

**सं0 एफ 9(37)/डी0ई0एस0/ए0एस0आई0/2014–15/MI-1182-85.**—सांख्यिकी संग्रहण नियमावली, 2011 के नियम 5 और 7 के साथ पठनीय सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 की धारा 3 और 4 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची–I में उल्लिखित विवरण के अनुसार, विनिर्माण और इससे संबंधित कार्यकलापों के बारे में सांख्यिकी सर्वेक्षण के माध्यम से आंकड़ों के संग्रहण, अब से "वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण 2014–15(राज्य प्रतिदर्श)" के रूप में संदर्भित, का निर्देश देता है ।

2. आगे, उपराज्यपाल, उक्त निर्देश के सन्दर्भ में नीचे दी गई अनुसूची –2 में उल्लिखित व्यक्तियों और साथ ही कार्यालय में उनके उत्तराधिकारी को, वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण, 2014–15, (राज्य प्रतिदर्श) में दी गई भौगोलिक इकाईयो के सम्बन्ध में सांख्यिकी अधिकारी के रूप में नामित करते है।

3. संबंधित सांख्यिकी अधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों को प्रत्येक सूचनादाता द्वारा प्रदत्त सूचना के सत्यापन, तत्संबंधी रिकार्डों के निरीक्षण और जैसा भी आवश्यक हो, स्पष्टीकरण मांगने के कार्य में लगाया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति संबंधित सांख्यिकी अधिकारी द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र अथवा प्राधिकार पत्र अपने साथ रखेगा।

4. वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण 2014–15 के संबंध में भाग–I तथा भाग– II में सूचना प्रदाता द्वारा प्रदत्त किए गए आंकड़ों को विधिवत् सत्यापन और जांच के बाद अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कार्यरत अधिकारियों द्वारा संसाधित किया जाएगा।

5. वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण 2014–15 से संबंधित किसी भी कार्यकलाप में लगे सभी व्यक्ति, सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 (2009 का 7) और सांख्यिकी संग्रहण नियमावली, 2011 के प्रावधानों द्वारा अधिशासित होंगे।

## अनुसूची–1

1. **सांख्यिकी संग्रहण का विषय और प्रयोजन** :– वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण 2014–15 के माध्यम से, विनिर्माण, प्रकियाओं, मरम्मत सेवाओं, गैस और जलापूर्ति तथा शीत भंडार से संबंधित कार्यकलापों वाले संगठित विनिर्माण क्षेत्र के विकास, सरंचना और ढांचे से संबंधित सांख्यिकी का संग्रहण किया जाता है।
2. **सांख्यिकी संग्रहण के लिए भौगोलिक क्षेत्र** :– सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 के तहत वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण 2014–15, पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आयोजित किया जाता है।
3. **आंकड़ा संग्रहण की पद्धति** :–प्रत्येक सांख्यिकी अधिकारी अपने कार्यक्षेत्र के तहत सूचनादाताओं को एक नोटिस जारी करेगा, जिसमें उस तारीख, जब तक, अधिकारी अथवा कार्यालय जिसे, इकाई (यूनिट) और इकाइयों (यूनिट्स) जिनके लिए और फार्मेट जिसमें सूचना प्रदान की जानी है, का उल्लेख करेगा। सांख्यिकी अधिकारी सूचनादाताओं को, उन अन्य शर्तों पर निर्भर करते हुए, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में निर्धारित सूचना फाइल करने की अनुमति दे सकता है, जिन्हें वह नोटिस में विनिर्दिष्ट करेगा।
4. **सूचनादाताओं का स्वरूप जिनसे आंकड़े एकत्र किए जाने हैं** :– इकाई का मालिक अथवा पदाधिकारी [यानि, कोई फैक्ट्री अथवा कोई विद्युत या गैस या जलापूर्ति प्रतिष्ठान अथवा बीड़ी और सिगार कामगार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966 के तहत पंजीकृत कोई उद्यम], जिसे सांख्यिकी अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किया गया है, इकाई के बारे में सूचना उपलब्ध कराएगा ।
5. यदि अलग–अलग इकाइयों के संबंध में अलग से सूचना उपलब्ध नहीं है तो, सांख्यिकी अधिकारी मालिक अथवा पदाधिकारी को एक ही प्रबन्ध के तहत दो या अधिक इकाइयों के संबंध में उन शर्तों पर निर्भर करते हुए समेकित सूचना प्रदान करने के लिए कह सकता है, जिन्हें उसने नोटिस में विनिर्दिष्ट किया है ।
6. **सांख्यिकी संग्रहण का कार्य पूरा करने की अवधि** :– नोटिस में प्रत्येक सूचनादाता द्वारा सूचना प्रस्तुत करने की तारीख का उल्लेख किया जाएगा और यह अवधि मार्च, 2016 से अक्टूबर 2016 के बीच होनी चाहिए।
7. **संदर्भ अवधि** :–सूचना, 1 अप्रैल, 2014 से शुरू होने वाले और 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष अथवा इकाई के मामले में 1 अप्रैल, 2014 और 31 मार्च, 2015 के बीच किसी भी तारीख को पड़ने वाले लेखाकरण वर्ष के लिए उपलब्ध करानी होगी ।
8. **एकत्र की जाने वाली सूचना की प्रकृति** :–अपेक्षित सूचना के दो भाग हैं, भाग–I परिसंपत्तियों तथा देयताओं, रोजगार और श्रम लागत, प्राप्तियों, व्यय, निर्देश की स्वदेशी तथा आयातित वस्तुओं, उत्पाद तथा उप–उत्पाद, वितरण सम्बन्धी खर्चे आदि से सम्बन्धित है। भाग–II श्रम सांख्यिकी के विभिन्न पहलुओं नामत, कार्य दिवस, नियोजित श्रम दिवस, अनुपस्थिति, श्रम कारोबार, नियोजित कार्य के घंटें, आय तथा सामाजिक सुरक्षा लाभों के बारे में सूचना से सम्बन्धित है ।
9. **सूचनादाता द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सूचना की** भाषा :–सूचनादाता, निर्धारित प्रपत्र में हिन्दी अथवा अंग्रेजी में सूचना प्रदान करेगा।

10 **सूचनादाता के दायित्व** :– इकाई का मालिक अथवा पदाधिकारी, सांख्यिकी अधिकारी से उसे प्राप्त नोटिस में उल्लिखित तरीके से और तारीख तक सूचना उपलब्ध कराएगा। सांख्यिकी अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा मांगे जाने पर, वह निरीक्षण के लिए तत्संबंधी रिकार्ड भी उपलब्ध कराएगा और मांगी गई सूचना के सम्बन्ध में प्र''नों का उत्तर देगा।

11 **निरीक्षण किये जाने वाले कारोबारी रिकार्ड और अन्य रिकार्डो की प्रकृति** :– सांख्यिकी अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, इकाई द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के समर्थन में बैलेंस शीट, लाभ तथा हानि खाता, मस्टर रोल, उपस्थिति रजिस्टर, श्रमिक रजिस्टर, पे–रोल, निर्दे''एक की रिपोर्ट अथवा अन्य कानूनी दस्तावेज जैसे कारोबारी रिकार्ड का निरीक्षण कर सकता है ।

12 **निरीक्षण का तरीका** :– सांख्यिकी अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति इकाई के कारोबारी रिकार्ड और अन्य रिकार्डों के आधार पर इकाई द्वारा प्रदत्त सूचना का सत्यापन कर सकता है और इकाई के मालिक अथवा पदाधिकारी अथवा प्रबन्ध मंडल द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति से स्पष्टीकरण मांग सकता है।

## अनुसूची–2

| कम संख्या | संख्यिकी अधिकारी | कर्यक्षेत्र (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र) | पता |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री राजिन्द्र प्रताप मेदिरत्ता सहायक निदेशक (ए0एस0आई0), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, दिल्ली | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली | अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, तृतीय तल, बी ब्लॉक, विकास भवन–2, अपर बेला रोड, सिविल लाईन्स, दिल्ली–54 |

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के
उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,
एस. एन. सहाय, प्रधान सचिव (योजना)

## DIRECRTORATE OF ECONOMICS AND STATISTICS

## NOTIFICATION

Delhi, the 12th April, 2016

**No. F. 9(37)/DES/ASI/2014-2015/MI-1182-85.**—In exercise of the powers conferred by sections 3 and 4 of the Collection of Statistics Act, 2008 (7 of 2009) read with rules 5 and 7 of the Collection of Statistics Rules, 2011, the Hon'ble Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby directs collection of statistics on manufacturing and related activities through a statistical survey, hereinafter referred to as "the Annual Survey of Industries 2014-15 (state samples)" as per the details mentioned in the Schedule-I given below.

2. The Hon'ble Lieutenant Governor further appoints the person as [also his/her successor in office] mentioned in Schedule-II given below, as Statistics Officer for the Annual Survey of Industries 2014-15 (state samples) in respect of geographical units mentioned thereof with reference to the aforesaid direction.

3. The persons authorized by the concerned Statistics Officer would be engaged in the jurisdiction of the Statistics Officer for verification of information furnished by each informant, for inspecting relevant records, and for seeking clarifications, as may be necessary. Each person would carry a photo identity card or a letter of authorization issued by the concerned Statistics Officer.

4. The statistics collected in Part-I and Part-II in respect of the Annual Survey of Industries 2014-15 furnished by the informants, after due verification and scrutiny, will be processed by officials working at the Office of the Directorate of Economics and Statistics, Government of National Capital Territory of Delhi.

5. All the persons engaged in any activity in respect of Annual Survey of Industries 2014-15 (state samples) are governed by the provisions under the Collection of Statistics Act, 2008 (7 of 2009) and the Collection of Statistics Rules, 2011.

## SCHEDULE-I

1. **Subject and purpose for collection of Statistics: -** Statistics relating to the growth, composition and structure of organized manufacturing sector comprising activities related to manufacturing processes, repair services, gas and water supply and cold storage is collected through Annual Survey of Industries 2014-15.

2. **Geographical area for collection of Statistics: -** The Annual Survey of Industries 2014-15 will be conducted in the whole of National Capital Territory of Delhi, under the Collection of Statistics Act, 2008.

3. **Method of data collection:-** A notice will be issued by the Statistics Officer to the informants under his jurisdiction, indicating therein the date by which, the officer or office to whom, the unit or units for which, and the formats in which information is required to be furnished. The Statistics Officer may permit an informant to file the prescribed information in electronic form, subject to such other conditions that he may specify in the notice.

4. **Nature of informants from whom data may be collected :-** The owner or occupier of a unit [i.e., a factory or an electricity or gas or water supply undertaking or an establishment registered under the Beedi and Cigar Workers (Conditions of Employment) Act, 1966], who would be issued notice by the Statistics Officer, shall furnish information about the unit.

5. The Statistics Officer may require such owner or occupier to furnish consolidated information in respect of two or more units under single management in case information is not separately available for individual units and subject to such other conditions, as he may specify, in the notice.

6. **Period during which collection of Statistics may be completed: -** The date for submission of information by each informant would be mentioned in the notice and it would be fall during March, 2016 to October, 2016.

7. **Reference Period: -** Information is required to be furnished for the financial year commencing from 1st April 2014 and ending on 31st March 2015 or for the accounting year of a unit ending on any date between 1st April 2014 and on 31st March 2015.

8. **Nature of information to be collected: -** The information required has two parts. Part-I relates to information on assets and liabilities, employment and labour cost, receipts, expenses, input items – indigenous and imported, products and by-products, distributive expenses etc. Part-II relates to information on different aspects of labour statistics, namely, working days, mandays worked, absenteeism, labour turnover, man-hours worked, earning and social security benefits.

9. **Language in which information is to be furnished by informant: -** Every informant shall furnish information in the prescribed format either in Hindi or in English.

10. **Obligation of informant: -** The owner or occupier of a unit shall furnish information in the manner and by the date mentioned in the notice received by him from the Statistics Officer. He should also furnish relevant records for

inspection, and answer questions in relation to the information sought, as may be required by the Statistics Officer or a person authorized by him.

11. **Nature of business records and other records which may be inspected: -** Business records of a unit, such as balance sheet, profit and loss account, muster rolls, attendance register, labour register, pay rolls, Director's report or any other legal document in support of the information furnished by the unit may be inspected by the Statistics Officer or a person authorized by him.

12. **The manner of inspection: -** The Statistics Officer or any person authorized by him may verify the information furnished by a unit on the basis of business records and other records of the unit and seek clarifications from the concerned owner or occupier or a person authorized by the management of the unit.

**SCHEDULE-II**

| S. No. | Statistics Officer | Jurisdiction State/UT | Address |
|---|---|---|---|
| 1. | Sh. Rajinder Pratap Madiratta, Assistant Director (ASI), DES, Delhi | NCT of Delhi | Directorate of Economics & Statistics, 3rd Floor, B Wing , Vikas Bhawan-2, Upper Bela road, civil lines, Delhi-110054 |

By Order and in the Name of Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

S.N. SAHAI, Pr. Secy. (Plg.)

**श्रम विभाग**

**अधिसूचनाएं**

दिल्ली, 12 अप्रैल, 2016

सं. एफ. अतिरिक्त श्र.आ. **2015/128.**—न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 22 बी द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, श्रम आयुक्त, श्रम विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार को उक्त अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत शिकायत करने की स्वीकृति देने के लिये अधिकृत करता है ।

यह आदेश राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की अनुमोदन संख्या एफ.अतिरिक्त श्र.आ./2015/दिनांक 12.10.2015 (11/एन) से जारी किया गया ।

**LABOUR DEPARTMENT**

**NOTIFICATIONS**

Delhi, the 12th April, 2016

**No. PA/Addl. LC/Lab/2015/128.**—In exercise of the powers conferred by section 22B of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of the 1948), the Government of NCT of Delhi authorizes the Labour Commissioner of Delhi, Labour Department, Government of National Capital Territory of Delhi to grant Sanction for making complaint in terms of the provision under the said Act.

This issues with the approval of Government of NCT of Delhi vide no. PA/Addl.LC/Lab/2015 dated 12.10.2015(11/N).

**एफ.13(16)/एमडब्ल्यू/1/2008/श्रम/129.**—पूर्व राज्य मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24.8.1950 की अधिसूचना संख्या 104 जे तथा गृह मंत्रालय की दिनांक 06.02.1967 की अधिसूचना संख्या एस0ओ0530 (एफ–2/9/66–यू.टी. एल) के साथ पठित न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948(1948 का xi) की धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल समस्त सूचीबद्ध रोजगारों के लिये एक समिति का गठन करते हैं, जिसके निम्नलिखित सदस्य होंगे:–